न्यायालय, अनुमंडल दण्डाधिकारी, बगोदर-सरिया (गिरिडीह)

वाद संख्या- 19/20 (द0प्र0सं0 की धारा 145)

त्रिवेणी महतो ---------- प्रथम पक्ष

बनाम्

अर्जुन महतो वगैरह ---------- द्वितीय पक्ष

आदेश

06-2-24

प्रथम पक्ष त्रिवेणी महतो के आवेदन पर थाना प्रभारी बिरनी के जाँच प्रतिवेदन D.R. सं. 200/2020 दिनांक 06.02.2020 पर संतुष्ट होकर तकरारी भूमि मौजा- पिपराडीह, खाता नं0- 14, प्लॉट नं0- 75/8 रकबा- 67 डी0 चौहद्दी: उ0- हरिहर महतो, द0- अड़वार, पू0- जोधो महतो, प0- रूपन महतो पर विवाद के मद्देनजर दण्ड प्रक्रिया संहिता के धारा 145 के तहत कार्यवाई दिनांक 18.02.2020 को आरम्भ की गई तथा उभय पक्ष को कारण पृच्छा दाखिल करने हेतु निदेशित किया गया।

उभय पक्ष अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित कारण पृच्छा, दस्तावेजी साक्ष्य तथा गवाह प्रस्तुत किए।

प्रथम पक्ष का कहना है कि विवादित भूमि उनके पिता रामसहाय महतो वल्द निर्मल महतो को बिहार भूदान यज्ञ कमिटी द्वारा वर्ष 18.04.1956 से हासिल है। जमीन का किस्म गैरमजरूआ है तथा उनके पिता के नाम से अंचल कार्यालय बिरनी में जमाबंदी कायम है तथा मालगुजारी रसीद निर्गत होता रहा है। द्वितीय पक्ष के लोग बाजबरण उक्त विवादित जमीन पर जोत-कोड़ कर फसल लगाने की कोशिश कर रहे है अत: विवाद उत्पन्न हुआ है। प्रथम पक्ष उक्त विवाद के संबंध में निम्नलिखित दस्तावेज दाखिल करते है :-

(1) वाद सं. 135/19 (द0प्र0सं0 धारा 144) त्रिवेणी महतो बनाम अर्जुन महतो वगैरह में दिनांक 26.12.2019 में तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश की छाया प्रति;

(2) अंचल अधिकारी, बिरनी द्वारा उनके पत्रांक 290 दिनांक 22.03. 2019 को जारी नोटिस की छायाप्रति;

(3) बिहार भूदान यज्ञ कमिटी के प्रमाण पत्र सं. 77926 दिनांक 18. 04.1956 की छायाप्रति;

वहीं द्वितीय पक्ष द्वारा लिखित कारण पृच्छा दाखिल कर बतलाया गया कि

विवादित भूमि गैरमजरूआ खास किस्म की जमीन है जो कि निर्मल महतो वगैरह के नाम से बिहार भूदान यज्ञ कमिटी द्वारा ग्राम वितरण सूची सं. 43 नं0 77993 श्री राजा बहादुर महेश्वरी प्रसाद से वर्ष 18.04.1956 से हासिल है तथा विवादित भूमि समेत कुल रकबा 7.20 एकड़ है। प्रथम पक्ष उनके गोतिया हैं तथा विवादित भूमि प्रथम पक्ष की ना होकर द्वितीय पक्ष की है तथा द्वितीय पक्ष का उक्त जमीन पर 1956 से ही दखल कब्जा बरकरार है। द्वितीय पक्ष अपने दावे के समर्थन में निम्नलिखित दस्तावेजी साक्ष्य दाखिल करते हैं :-

(1) बिहार भूदान यज्ञ कमिटी प्रमाण पत्र सं0- 77993 दिनांक 18.04. 1956 की छायाप्रति;

(2) वाद सं.- 135/19 (द0प्र0सं0 धारा 144) त्रिवेणी महतो बनाम अर्जुन महतो वगैरह में दिनांक 26.12.2019 में तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश की छायाप्रति;

(3) केवाला सं0- 2796 दिनांक 08.07.11 की छायाप्रति;

(4) केवाला सं0- 12152 दिनांक 28.09.78 की छायाप्रति;

उक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित प्रतिवेदन भी अभिलेख पर उपलब्ध है :-

(1) थाना प्रभारी बिरनी का जाँच प्रतिवेदन;

(2) अंचल अधिकारी बिरनी का पत्रांक 528 दिनांक 18.07.2020 के आलोक में जाँच प्रतिवेदन;

(3) प्रथम पक्ष के द्वारा प्रस्तुत एक गवाह की मुख्य अभिकथन तथा प्रतिपरीक्षण;

(4) द्वितीय पक्ष के द्वारा प्रस्तुत 6 (छः) गवाहों का मुख्य अभिकथन तथा प्रतिपरीक्षण;

विवेचन :-

1. न्यायालय अनुमंडल दण्डाधिकारी बगोदर-सरिया के वाद संख्या- 135/19 (धारा 144 द0प्र0सं0) के अवलोकन से ज्ञात होता है कि उभय पक्ष के मध्य तकरारी भूमि को लेकर पूर्व से ही विवाद चला आ रहा है।
2. प्रथम पक्ष के द्वारा प्रस्तुत बिहार भूदान यज्ञ कमिटी द्वारा निर्गत प्रमाणपत्र सं. प्रिन्टेड- 684061 काट कर कलम द्वारा लिखित 77926 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रथम पक्ष के पिता रामसहाय महतो वल्द निरमल महतो को राजा बहादुर महेश्वरी प्रसाद पो0 धनवार जिला- हजारीबाग द्वारा खाता 14 में विवादित भूमि समेत अन्य खेसरा की कुल भूमि 8 (आठ) एकड़ प्राप्त हुई थी।
3. बिहार भूदान यज्ञ कमिटी के प्रमाण पत्र सं.- 77993 दिनांक 18.04.1956 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि राजा बहादुर महेश्वरी प्रसाद पो0 धनवार जिला हजारीबाग द्वारा निरमल महतो वगैरह वल्द नुनू महतो को खाता 14 खेसरा 75 में कुल 7 एकड़ 20 डिसमील जमीन प्राप्त हुआ

था।

4. अभिलेख पर उपलब्ध केवाला सं.- 2796 खाता सं. 11 (ग्यारह) से संबंधित है तथा केवाला सं. 12152 खाता सं. 01 से संबंधित है जिसका विवादित भूमि जो कि खाता सं. 14 से संबंधित है, से कोई संबंध /सरोकार का पता नहीं चलता। अत: उपरोक्त वाद के विवेचन हेतु अप्रासंगिक है।
5. द्वितीय पक्ष द्वारा प्रस्तुत वंशावली में निरमल महतो पिता नुन महतो के वंशज के रूप में पुन: निरमल महतो दर्ज किया गया है तथा रामसहाय महतो (प्रथम पक्ष के पिता) को नहीं दर्शाया गया है जिससे यह वंशावली विसंगतिपूर्ण प्रतीत होता है। द्वितीय पक्ष द्वारा प्रस्तुत भूदान यज्ञ कमिटी का पर्चा निरमल महतो के नाम से है जिसके वंशज प्रथम पक्ष भी हैं अत: एक ही जमीन पर प्रथम पक्ष के पिता तथा उनके दादा के नाम से निर्गत भूदान पर्चा संदेहास्पद प्रतीत होता है।
6. उभय पक्ष में से किसी भी पक्षकार के द्वारा कोई लगान रसीद प्रस्तुत नहीं किया गया है।
7. थाना प्रभारी बिरनी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि द्वितीय पक्ष के लोग बाजबरण भूमि पर कब्जा करना चाह रहे हैं। विवाद आरंभ से पूर्व के दखल कब्जा के बिन्दु पर कोई जानकारी प्रतिवेदित नहीं की गई है।
8. अंचल अधिकारी बिरनी के अनुसार विवादित भूमि गैरमजरूआ खास खाते की है तथा किस्म जमीन परती कदीम दर्ज है। पंजी II में प्रथम पक्ष त्रिवेणी महतो के पिता स्व. रामसहाय महतो के नाम पर पंजी II Volume II पृष्ठ सं. 25 पर डिमान्ड खुला है परन्तु एक भी लगान रसीद का इन्द्राज नहीं है। साथ ही उनका कहना है कि उभय पक्ष भूदान पर्चा तो प्रस्तुत करते है परन्तु पर्चा का Confirmation हेतु Form'10' प्रस्तुत नहीं करते। साथ ही अंचल अधिकारी बिरनी भूदान पर्चा सत्यापन हेतु भूदान कार्यालय गिरिडीह तथा भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता कार्यालय संपुष्टि हेतु भेजने की अनुशंसा करते है। दखल कब्जा के बिन्दु पर अंचल अधिकारी बिरनी विवादित प्लॉट के आंशिक भाग पर उभय पक्ष के द्वारा खेती किए जाने का उल्लेख करते है तथा शेष भाग परती बताते है। साथ ही वे यह भी प्रतिवेदित करते है कि प्रस्तुत भूमि ग्रामीणों के अनुसार अडवार के रूप में व्यवहार होते आ रहा है।
9. प्रथम पक्ष के गवाह सं. 01 राजेन्द्र विश्वकर्मा पिता सोमर मिस्त्री अपने मुख्य परीक्षण में कहते है कि विवादित जमीन त्रिवेणी यादव (प्रथम पक्ष) के कब्जा में था परन्तु विवाद होने के बाद परती है तथा अपने प्रतिपरीक्षण में कहते है कि विवादित भूमि एक वर्ष से परती है।
10. द्वितीय पक्ष के गवाह सं. 01 मो0 मंजुर अंसारी अपने मुख्य परीक्षण में

कहते हैं कि विवादित भूमि पर द्वितीय पक्ष का दखल कब्जा रहा है। अपने प्रतिपरीक्षण में कहते है कि उन्होंने द्वितीय पक्ष के कहने पर उस जमीन पर जोत कोड किया है।

11. द्वितीय पक्ष के गवाह सं. 02 हीरालाल यादव अपने मुख्य परीक्षण में कहते है कि विवादित भूमि पर द्वितीय पक्ष का दखल कब्जा रहा है।
12. द्वितीय पक्ष के गवाह सं. 03 सहदेव यादव का अपने मुख्य परीक्षण में कहना है कि उक्त जमीन पर द्वितीय पक्ष का दखल कब्जा रहा है।
13. द्वितीय पक्ष के गवाह सं. 04 वासुदेव दास का अपने मुख्य परीक्षण में कहना है कि उक्त भूमि पर द्वितीय पक्ष का दखल कब्जा रहा है।
14. द्वितीय पक्ष के गवाह सं. 05 भरत यादव का कहना है कि विवादित भूमि पर द्वितीय पक्ष का दखल कब्जा रहा है।
15. द्वितीय पक्ष के पक्षकार अर्जुन महतो अपनी गवाही में कहते है कि मेरे पिताजी तथा मै स्वयं उक्त भूमि पर दखलकार हूँ। साथ ही अपने प्रतिपरीक्षण में कहते है कि जमीन रैयती है तथा आंशिक गैरमजरूआ है। रेवा महतो के नाम से खतियान है जिसका खाता नं0 01 है।

उपरोक्त विवेचन से मै इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि विवादित भूमि गैर मजरूआ खास खाते से संबंधित है। प्रथम पक्ष के नाम से पंजी II में इन्ट्री मात्र है तथा कोई लगान रसीद निर्गत नही है। द्वितीय पक्ष के नाम से कोई जमाबंदी दर्ज नहीं है। उभय पक्ष भूदान पर्चे के आधार पर उक्त भूमि पर अपना-अपना दावा प्रस्तुत कर रहे है।

अंचल अधिकारी उभय पक्ष के दावे को सत्यापित करने की अनुशंसा कर रहे हैं जिससे यह स्पष्ट है कि उक्त भूमि पर उभय पक्ष में किसी का भी स्वत्व (Title) स्पष्ट नहीं है। अंचल अधिकारी बिरनी के प्रतिवेदन में किसी एक पक्ष का उक्त जमीन पर दखल कब्जा स्पष्ट नही है तथा उन्होंने जमीन को अड़वार (सार्वजनिक चारागाह) के रूप में व्यवहृत होते चले आने का भी जिक्र किया है। थाना प्रभारी बिरनी के प्रतिवेदन में भी किसी एक पक्ष का दखल-कब्जा स्पष्ट उल्लिखित प्रतिवेदित नहीं किया गया है।

चुँकि दखल कब्जा के बिन्दु पर निर्णय करने हेतु भूमि पर स्पष्ट स्वत्व (title) का होना, नियमित लगान रसीद निर्गत होना, वैध जमाबंदी कायम होना आवश्यक शर्ते हैं। साथ ही प्रस्तुत वाद में वर्णित भूमि गैरमजरूआ खास खाते की है अतः उक्त अपूष्ट तथा संदेहास्पद जमाबंदी अथवा अस्पष्ट दखल कब्जा के आधार पर कोई निर्णय लेना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अंचल अधिकारी बिरनी को निदेशित किया जाता है कि उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत दावों की विधिसम्मत जाँच करते हुए जमाबन्दी की वैधता के बिन्दु पर

नियमानुसार निर्णय लेना सुनिश्चित करेंगे। उक्त आदेश के साथ ही वाद की कार्यवाई समाप्त घोषित की जाती है।

आदेश की प्रति उभय पक्ष, अंचल अधिकारी बिरनी तथा थाना प्रभारी बिरनी को भेजें।

लेखापित एवं संशोधित

06/12/24

अनुमंडल दण्डाधिकारी
बगोदर-सरिया

06/12/24

अनुमंडल दण्डाधिकारी
बगोदर-सरिया

Digitally signed by SANTOSH GUPTA
Date: 2025.01.09 11:24:45 +05:30
Location: 192.168.1.2